

फर्द अहकाम

जयशंकर) बनाम रामशंकर)

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

केस सं० 92/24

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित / अनुपस्थित पत्रावली मत आदेशानुसार दिनांक... 25/6/25... को पेश हो।</p> <p>(5)</p>	
	25/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित / अनुपस्थित पत्रावली मत आदेशानुसार दिनांक... 25/6/25... को पेश हो।</p> <p>वाहे साहू</p> <p>(5)</p>	
	27/6/25	<p>पत्रावली पेश ही मूल वाद 0-9, R-2 CPC के प्रावधानों के तहत कदम फरबी, कदम हाजिरी के खारिज हो चुका है। कदम T. I. 0 प्रा० पत्र को मिलान हीन हो चुका है। कदम पत्रावली के तहत श्रुता है कि कदम हाजिरी हो हीन नश्वर के फल है।</p> <p>(5)</p> <p>उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल</p>	